न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- हेमेन्द्र नागर, RAS
राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प बडोली माधोसिंह

प्रकरण सं. 8/2016 अपील

1. श्यामलाल पिता नन्दलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्टकोटडी।
2. श्रीमती कान्ता पुत्री नन्दलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्टकोटडी।
3. मु0गणेशी बाई बेवा नन्दलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्टकोटडी।
4. मु0बाली बाई पुत्री मोतीलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्टकोटडी हाल पत्नी रामचन्द्र धाकड़, निवासी दारूखेडा, तहसील व जिला नीमच।
5. मु0मुन्नाबाई पुत्री मोतीलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्टकोटडी हाल पत्नी चम्पालाल धाकड़, निवासी दारूखेडा, तहसील व जिला नीमच।
6. मु0लीलाबाई पुत्री मोतीलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्टकोटडी हाल पत्नी शम्भुलाल धाकड़, निवासी फाचर सोलंकी तहसील निम्बाहेड़ा।
7. मु0मथरी बाई बेवा मोतीलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्टकोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

राज0सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0राज0 अधि0 1956
विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 791 दिनांक 17.01.2007
न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा

निर्णय दिनांक 01.06.2016

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा भट्ट कोटडी की नामान्तरकरण संख्या 791 जिसमें साबिक खाता संख्या 15 की साबिक आराजी नं. 164, 398, 752/595 कुल किता 3 कुल रकबा 0.10 बिस्वा, साबिक खाता संख्या 13 की साबिक आराजी नं. 276, 278, 284 कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 बीघा, साबिक खाता संख्या 167 की साबिक आराजी नं. 263, 353, 604/540, 713/19, 714/136, 715/226,

716/413, 717/410, 718/412 कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित होकर संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। अपीलाण्ट 1 से 3 के पिता व पति नन्दलाल का देहान्त उनके पिता से पूर्व लगभग 30-32 साल पूर्व हो चुका था जबकि अपीलाण्ट 1 से 3 के दादा व ससुर तथा अन्य सभी अपीलाण्ट के पिता मोतीलाल पिता नानालाल धाकड़ का देहान्त सन 2007 में हुआ है। तब से ही अपीलाण्ट प्रश्नगत आराजीयात पर काबिज काश्त हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने बगैर पूर्ण जांच किये उक्त नामान्तरकरण निर्णित किया है जो गलत है। कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। अपूर्ण व अधुरा नामान्तरकरण खोला गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 के पिता व ससुर का सही नाम नन्दलाल था जिसके स्थान पर सहवन से उनके दादा मोतीलाल जी का नाम दर्ज कर दिया गया है। इसलिए नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। पूर्व में इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। पहली बार जानकारी दिनांक 10.03.2016 को नकल ली तब हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की जा रही है जो अन्दर अवधि पेश है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट श्यामलाल, कान्ता पिता नन्दलाल, मु. गणेशी बाई बेवा नन्दलाल धाकड़ एवं बाली बाई, मुन्ना बाई, लीला बाई, पुत्रियां मोतीलाल एवं मु. मथरी बाई बेवा मोतीलाल धाकड़ के नाम सही एवं पूर्ण नामान्तरकरण निर्णित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोली माधोसिंह में जवाब प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में नामान्तरकरण में अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 का नाम पोत्र व पोत्री के स्थान पर पुत्र व पुत्री दर्ज हो गया है। सजरा निम्न प्रकार है:-

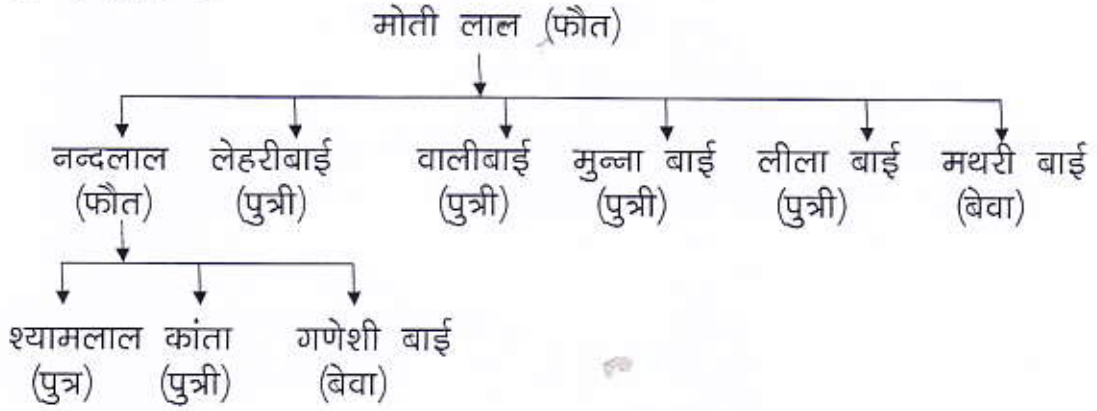

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार निम्बाहेड़ा के आधार पर एवं रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय

द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण निर्णित करने में त्रुटि रह गई है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 791 निरस्त योग्य है। जहां तक अपील हेतु अवधि का प्रश्न है, तो अपीलाण्ट दूरस्थ ग्रामीण अंचल के कम पढ़े लिखे कृषक हैं जिन्हें कानूनी बारिकीयां एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन की समय पर उचित जानकारी नहीं होना स्वीकाय योग्य है। न्याय हित में भी उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना उचित है। इससे किसी व्यक्ति के हित भी परोक्ष रूप से बाधित नहीं होते हैं। इसलिए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना उचित है।

अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट की अपील भी स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 791 दिनांक 17.01.2007 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ा को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण की पूर्ण जांच कर सभी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण निर्णित करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 01.06.2016 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(हेमेन्द्र नागर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा